न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

बबलीदेवी बनाम ओमवती वगै0

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2021	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.02.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 57/0.0400, 46/3/0.1800 हे0 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान कें मौके की यथास्थिति बनाये रखे । क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 02.02.22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
सत्यप्रतिलिपि रीडर उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)	2-2-22 वकील प्रार्थी उप0। मिसल वास्ते तलबी क्रिया 15-2-22 को पेश हो। [signature]	
15-2-22	वकील प्रार्थी उप0। मिसल वास्ते तलबी क्रिया 21-3-22 को पेश हो। [signature]	

21-3-22 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन दिनांक - 16-5-22 को पेश हों। [signature]

16-5-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं / ~~बाहर पधारे हैं~~
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 18-7-22
को पेश हो।

रीडर

18-7-22 वकील प्रार्थी उप०। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 06-09-22 को पेश हों।

6-9-22 वकील प्रार्थी उप०। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 11-10-22 को पेश हों।

11-10-22 वकील प्रार्थी उप०। मिसल वास्ते तलबी आवश्यक उप से दिनांक को पेश हों। पत्रावली सहवन से आदेशिका लिखी गई जबकि दावा वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर सलंग्न मूलवाद रहे।